भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई- पत्रिका

दिसंबर 2021

12 नवंबर 2021 को "डिजिटल साक्षरता और डिजिटल समावेशन के संदर्भ में सीएससी की कार्यप्रणाली" पर अध्यक्ष, भादूविप्रा के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुति

1. परामर्श पत्र

1.1 भादूविप्रा ने "आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए टैरिफ संबंधी मुद्दों" पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

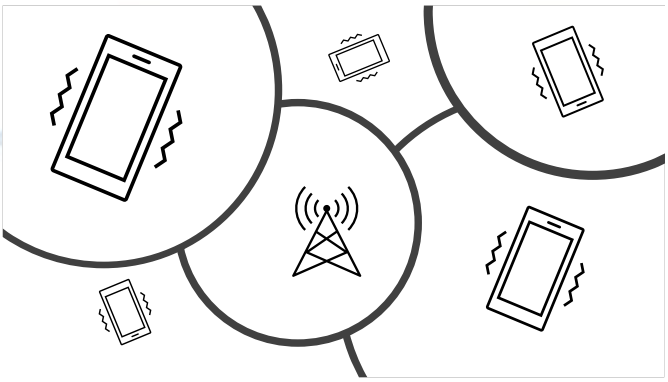

दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से अनुरोध किया है कि आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीएसपी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट/संदेशों के लिए टैरिफ उपलब्ध कराएं। डीओटी केवल एक निश्चित अवधि के लिए और उन घटनाओं के लिए जहां एनईसी/एनसीएमसी/एसईसी/नोडल प्राधिकरणों से मुफ्त संदेशों के लिए विशिष्ट अनुरोध आता है, एसएमएस/सेल प्रसारण की अनुमति देता है। हालांकि, ऐसे अवसर होते हैं जब सरकार संभावित आपदा या अवसरों के बारे में जनता को चेतावनी संदेश भेजना चाहती है जहां जनता को राहत/वैक्सीन/चिकित्सा शिविर/विशिष्ट कानून और व्यवस्था आदि, से संबंधित स्थितियों जैसे विशेष आयोजनों के बारे में सूचित किया जाना है।

इस परामर्श पत्र का उद्देश्य आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीएसपी द्वारा प्रसारित एसएमएस/सेल प्रसारण के लिए टैरिफ पर हितधारकों के विचारों को जानना और उन तकनीकी पहलुओं को समझना है जो सेवा की लागत पर प्रभाव डाल सकते हैं।

परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, परामर्श पत्र 3 नवंबर 2021 को ट्राई की वेबसाइट पर जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्न लिंक पर जाएँ

https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_03112021.pdf

1.2 15 नवंबर 2021 को "सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क" पर परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 10 सितंबर 2021 के माध्यम से भादूविप्रा से "सैटेलाइट गेटवे की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क" पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

डीओटी ने कहा है कि उपग्रह सेवाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के मौजूदा लाइसेंसिंग ढांचे में प्रस्तावित उपग्रह गेटवे (ओं) के संचालन के संबंध में सीमाएं हैं, क्योंकि उपग्रह समूह ऑपरेटर द्वारा स्थापित सेवा प्रदाता द्वारा गेटवे के उपयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं हैं। प्रस्तावित सैटेलाइट गेटवे (ओं) के संचालन के संबंध में मौजूदा प्रावधानों की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, डीओटी ने यह भी कहा है कि उपयुक्त लाइसेंसिंग ढांचे की आवश्यकता है और भादूविप्रा से सभी कारकों की समग्र रूप से जांच करने का अनुरोध किया है और प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, बैंक गारंटी, एनओसीसी शुल्क, और किसी भी अन्य मुद्दे जो एलईओ / एमईओ / एचटीएस सिस्टम के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, सहित सैटेलाइट गेटवे (ओं) के संचालन के लिए लाइसेंसिंग ढांचे पर सिफारिशों का सुझाव दिया जा सकता है।

इस संबंध में, "सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क" पर एक परामर्श पत्र 15 नवंबर 2021 को जारी किया गया था जिसमें हितधारकों से राय मांगी गई थी। 13 दिसंबर 2021 तक हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां और 27 दिसंबर 2021 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर www.trai.gov.in अपलोड किया गया है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_15112021.pdf

1.3 ट्राई ने यूएसएसडी-आधारित टैरिफ के लिए दूरसंचार टैरिफ का मसौदा जारी किया

ट्राई ने 24 नवंबर 2021 को "यूएसएसडी-आधारित टैरिफ के लिए नियामक ढांचा" पर दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश, 2021 का मसौदा जारी किया।

2. भादूविप्रा ने इससे पहले 22 नवंबर 2013 को दूरसंचार टैरिफ (56वां संशोधन) आदेश जारी किया था, जिसमें यूएसएसडी-आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए प्रति यूएसएसडी सत्र 1.50 रुपये की सीमा शुल्क निर्धारित किया गया था। इसके बाद नवंबर 2016 में,प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ (61वां संशोधन) आदेश, 2016 के माध्यम से बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी-आधारित टैरिफ सीमा को 1.50 रुपये से बढ़ाकर 0.50 रुपये प्रति सत्र कर दिया।

3. भुगतान के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान (सीडीडीपी) को गहरा करने पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया, जिसने बेहतर अपनाने के लिए यूएसएसडी शुल्कों को और युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया। सीडीडीपी पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशें वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा समर्थित हैं।

4. इस संबंध में दूरसंचार विभाग से डीएफएस के अनुरोध के बाद, प्राधिकरण ने विभिन्न पहलुओं से इस मुद्दे का विश्लेषण किया और उसका विचार है कि यूएसएसडी उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यूएसएसडी शुल्कों के युक्तिकरण की आवश्यकता है। तदनुसार, प्राधिकरण यूएसएसडी की शेष मदों को अपरिवर्तित रखते हुए, मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए प्रति यूएसएसडी सत्र "शून्य" शुल्क निर्धारित करके यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए ढांचे को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है।

5. मसौदा संशोधन आदेश भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर डाल दिया गया है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Draft_Regulations_24112021.pdf

1.4 30 नवंबर 2021 को "अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) / 5जी के लिए पहचान की गई आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र के माध्यम से दिनांक 13 सितंबर 2021 को, भादूविप्रा से "अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) / 5 जी के लिए पहचान की गई आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके बाद, डीओटी ने अपने पत्र दिनांक 23 सितंबर 2021 के माध्यम से भविष्य की स्पेक्ट्रम नीलामी के संबंध में सरकार के दूरसंचार सुधार निर्णयों के बारे में सूचित किया और भादूविप्रा से अनुरोध किया कि सिफारिशें प्रदान करते समय इस पर विचार करें। तदनुसार, दूरसंचार विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ भादूविप्रा से निम्नलिखित मुद्दों पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया है:

क) लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलामी किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और आईएमटी/5जी के लिए 526-698 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 3300-3670 मेगाहर्ट्ज और 24.25-28.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए संबद्ध शर्तें।

ख) स्पेक्ट्रम का परिमाण/बैंड, यदि कोई हो, को निजी कैप्टिव/पृथक 5जी नेटवर्क, आवंटन की प्रतिस्पर्धी/पारदर्शी पद्धति, और मूल्य निर्धारण, यदि परिसर में स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं को पूरा करने

के लिए यदि मशीन/प्लांट ऑटोमेशन उद्देश्यों/एम2एम के लिए उद्योगों के कैप्टिव 5जी अनुप्रयोगों के लिए निर्धारित किया जाना है।

ग) संबद्ध शर्तें जैसे अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान के बाद लागू अधिस्थगन अवधि, आस्थगित भुगतान किस्तों की संख्या और 30 साल के लिए वैधता के साथ स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अन्य संबंधित तौर-तरीके।

घ) स्पेक्ट्रम के समर्पण के लिए प्रावधान बनाने के लिए शर्तें, और स्पेक्ट्रम के ऐसे समर्पण के लिए शुल्क।

ड़) नवीनतम आईटीयू-आर रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित नियामक/तकनीकी आवश्यकताओं सहित इन आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य सिफारिशें।

इस संबंध में, भादूविप्रा ने 30 नवंबर 2021 को **"अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (IMT) / 5G के लिए पहचान की गई आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी"** पर एक परामर्श पत्र जारी किया है, जिसमें हितधारकों से राय मांगी गई है। इस परामर्श पत्र में उपर्युक्त मुद्दों पर हितधारकों के विचार के लिए विशिष्ट मुद्दों को उठाया गया है। 28 दिसंबर 2021 तक हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां और 11 जनवरी 2022 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_30112021.pdf

2. वेबिनार

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ने 18 नवंबर 2021 को एयरमीट प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए "क्लाउड कंप्यूटिंग - डीमिस्टिफाइड" पर ऑनलाइन के माध्यम से एक वेबिनार का आयोजन किया है।

श्री प्रा. सलाहकार श. महेंद्र श्रीवास्तव, भादूविप्रा मुख्य अतिथि थे और उन्होंने मुख्य भाषण दिया।

वेबिनार क्लाउड कंप्यूटिंग- डीमिस्टीफाइड के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था और लगभग 230 से अधिक लोग शामिल हुए।

3. कार्यशाला

भादूविप्रा ने 19 नवंबर 2021 को भुज (गुजरात) में उपभोक्ता वकालत समूहों के क्षमता निर्माण पर कार्यशाला आयोजित की:

भादूविप्रा ने 19 नवंबर 2021 को भुज (गुजरात) में सीएजी, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों के क्षमता विकास के लिए उपभोक्ता वकालत समूहों (सीएजी) के क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। क्षेत्रीय कार्यशाला में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के उपभोक्ता वकालत समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हाल के दिनों में भादूविप्रा द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर चर्चा की।

इस कार्यशाला में सीएजी ने दूरसंचार उपभोक्ताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने, विभिन्न उपभोक्ता शैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी और अपीलों के समाधान में अपने संगठनात्मक प्रयासों के बारे में जानकारी साझा की है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने प्रतिभागियों को उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण की दिशा में उनके द्वारा उठाए गए कदमों, उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों, पहुंच बढ़ाने के लिए विकसित किए गए विभिन्न मोबाइल ऐप के बारे में बताया।

19 नवंबर 2021 को भुज (गुजरात) में कार्यशाला का आयोजन

4. महत्वपूर्ण घटना

26 नवंबर 2021 को भादूविप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली में संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई

5. टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन और अन्य विज्ञप्ति

5.1 31 अक्टूबर 2021 तक टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन डेटा।

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	637.44	21.39	658.83
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	528.86	1.93	530.79
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	**1166.30**	**23.32**	**1189.62**
कुल टेली-घनत्व (%)	85.15	1.70	86.86
शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	54.65	91.72	55.38
ग्रामीण सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	45.35	8.28	44.62
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या (मिलियन)	774.39	24.55	798.95

अक्टूबर 2021 में पीक वीएलआर की तारीख में एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर 996.47 मिलियन थे।

अक्टूबर 2021 में एमएनपी के लिए 7.29 मिलियन सब्सक्राइबर अनुरोध किए गए थे। अक्टूबर 2021 के अंत तक, कुल 645.54 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाया है।

5.2 लेखा परीक्षकों का पैनल (अद्यतित सूची) डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स (डीएएस) की लेखापरीक्षा दिनांक 9 नवंबर, 2021 करने के लिए

भादूविप्रा समय-समय पर डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम को चलाने के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल की अद्यतित सूची जारी करता है। इस संदर्भ में, भादूविप्रा ने 9 नवंबर 2021 को लेखा परीक्षकों के पैनल के लिए अद्यतन सूची जारी की है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Auditors%21_list_09112021.pdf

5.3 भादूविप्रा ने 10 नवंबर 2021 को नए नियामक ढांचे 2020 के लिए एक कार्यान्वयन योजना जारी की है

भादूविप्रा ने 10 नवंबर 2021 को नए नियामक ढांचे 2020 के लिए एक कार्यान्वयन योजना जारी की, जिसके माध्यम से सभी ब्रॉडकास्टर्स और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) को 01.01.2020 को जारी नए नियामक ढांचे 2020 के प्रावधानों का पालन करने के लिए सूचित किया जाता है, जैसा कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, और निम्नानुसार प्राधिकरण को अनुपालन की रिपोर्ट करें:

क) सभी प्रसारकों को नए नियामक ढांचे 2020 के अनुसार चैनल संरचना के नाम, प्रकृति, भाषा, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) प्रति माह चैनलों के बुके और एमआरपी में किसी भी बदलाव की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2021 तक प्राधिकरण को देनी होगी और साथ ही इस तरह की जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। जिन प्रसारकों ने नए नियामक ढांचे के अनुपालन में अपने आरआईओ को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी 31 दिसंबर 2021 तक अपने आरआईओ को संशोधित कर सकते हैं।

ख) सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ), पे चैनलों के वितरक खुदरा मूल्य (डीआरपी), पे चैनलों के बुके/फ्री-टू-एयर चैनलों की संरचना और पे चैनलों के बुके के डीआरपी नए नियामक ढांचे 2020 के अनुसार प्राधिकरण को 31 जनवरी 2020 तक रिपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ इस तरह की जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

टेलीविजन चैनलों के सभी वितरक 1 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2022 तक नए नियामक ढांचे 2020 के प्रावधानों के अनुपालन में ग्राहकों से नए बुके या चैनलों की सदस्यता के विकल्प की पेशकश करेंगे और चयन प्राप्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि 01 अप्रैल 2022 से सेवाएं सब्सक्राइबर द्वारा चुने गए बुके या चैनलों के अनुसार प्रदान किए जाए।

6. घटनाएँ

6.1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नवंबर 2021 के दौरान निम्नलिखित उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्रमांक सं.	स्थान	दिनांक
1	ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	12 नवंबर 2021
2	केरल	17 नवंबर 2021
3	कर्नाटक	24 नवंबर 2021
4	आंध्र प्रदेश	26 नवंबर 2021
5	छत्तीसगढ	29 नवंबर 2021

फोटो गैलरी

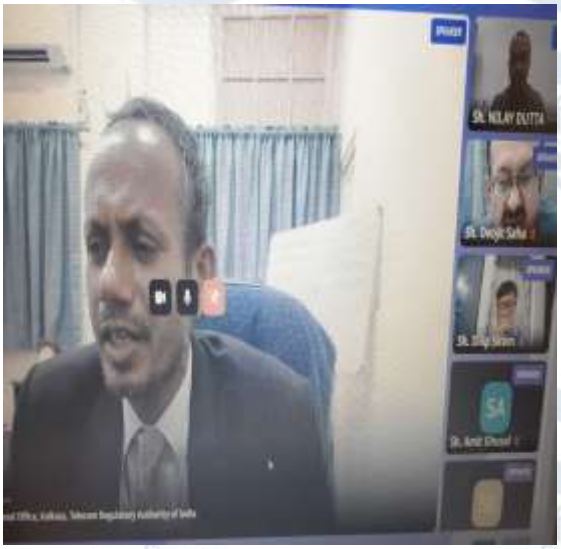

12 नवंबर 2021 को ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) के लिए आयोजित सीओपी

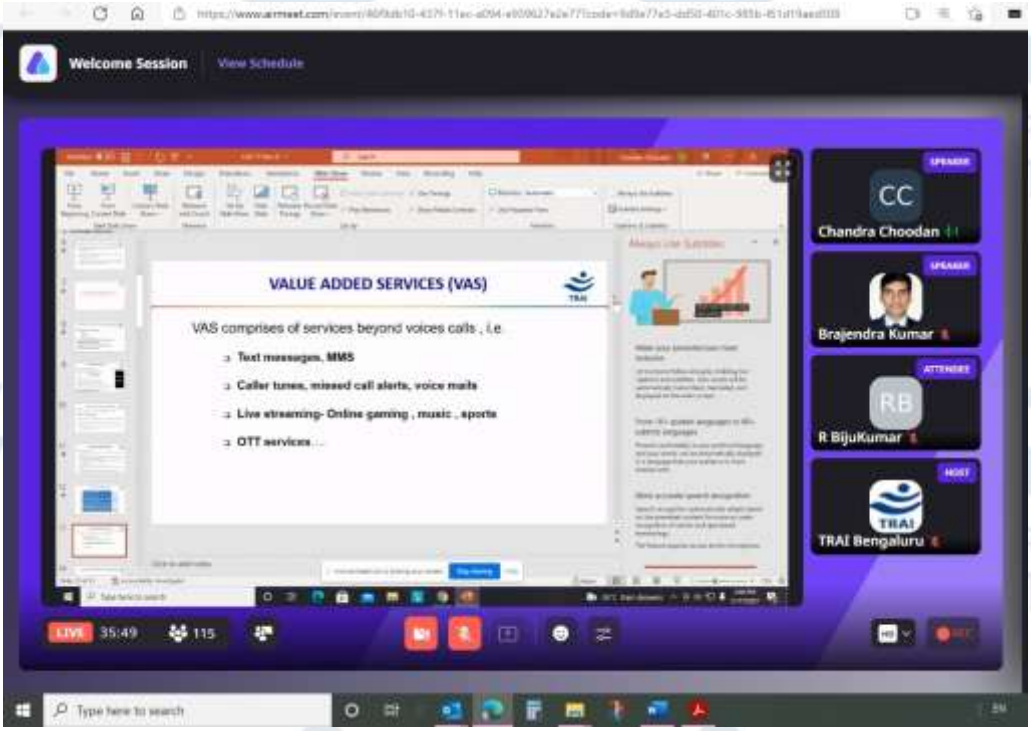

17 नवंबर 2021 को केरल के लिए आयोजित सीओपी

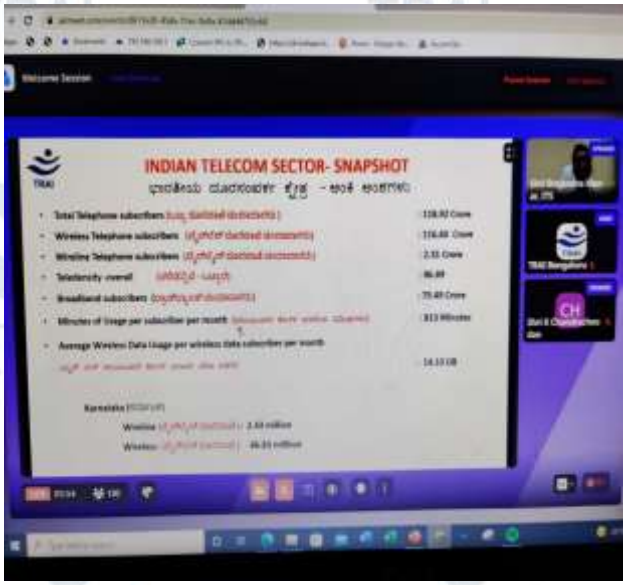

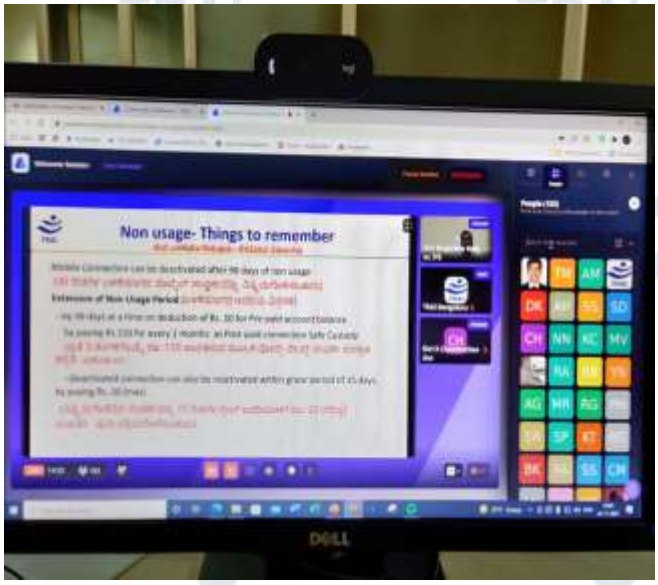

24 नवंबर 2021 को कर्नाटक के लिए आयोजित सीओपी

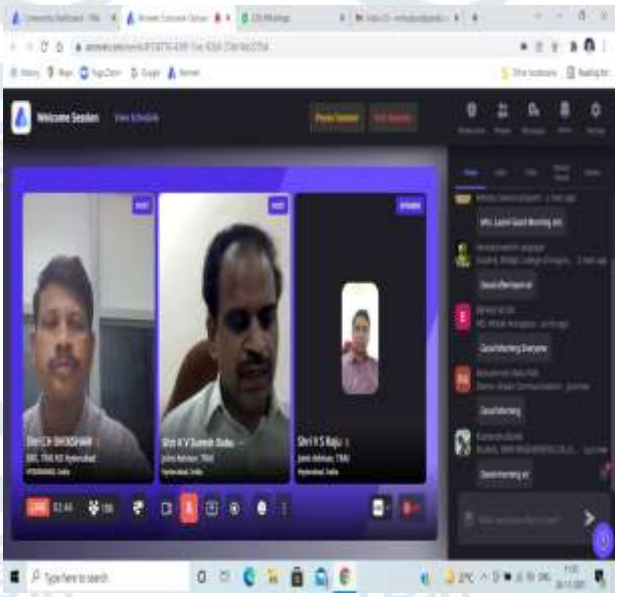

26 नवंबर 2021 को आंध्र प्रदेश के लिए आयोजित सीओपी

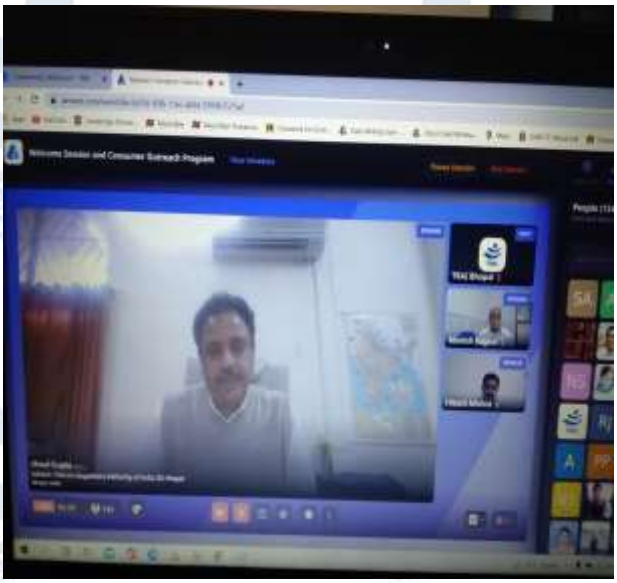

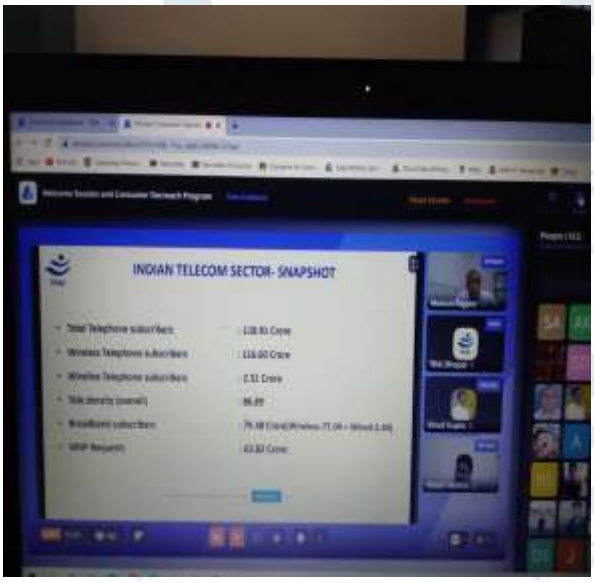

29 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के लिए आयोजित सीओपी

इस पत्रिका में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सदस्यता डेटा आदि का पूरा विवरण ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

www.trai.gov.in

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली- 110002

हम फेसबुक पर भी हैं! हमसे जुड़ें

https://www.facebook.com/TRAI/

हम ट्विटर पर भी हैं! फॉलो करें ! TRAI@TRAI